न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
04 / 2022	24 / 02 / 2022	25 / 11 / 2025

1. प्रहलाद आयु 60 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी गैंता
2. प्रेमचन्द आयु 57 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी गैंता
3. देवीशंकर आयु 46 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी गैंता
4. लालचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी गैंता
5. सत्यनारायण आयु 54 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

आवेदकगण

बनाम

1. अलादीन पुत्र रसूल जाति मुसलमान निवासी गैंता
2. करीम पुत्र रसूल जाति मुसलमान निवासी गैंता
3. बृजेशकुमार पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड निवासी गैंता
4. रहमान पुत्र रसूल जाति मुसलमान निवासी गैंता
5. चतरीबाई पत्नि स्व. भैरूलाल जाति माली निवासी गैंता
6. धनराज पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी गैंता
7. नरेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी गैंता
8. नारायण पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी गैंता
9. बाबूलाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी गैंता
10. रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल जाति मांली निवासी गैंता
11. कमलाबाई पुत्री भोलू जाति खटीक निवासी गैंता
12. कान्तीबाई पुत्री भोलू जाति खटीक निवासी गैंता
13. चन्द्रभान पुत्र भोलू जाति खटीक निवासी गैंता
14. मोहनलाल पुत्र भोलू जाति खटीक निवासी गैंता
15. हेमलता पुत्री भोलू जाति खटीक निवासी गैंता
16. हीरालाल पुत्री भोलू जाति खटीक निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल बंसल एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र

निर्णय

आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण एवम् प्रतिपक्षीगण समीपवर्ती खातेदार है। आवेदकगण ग्राम गैंता तह. पीपल्दा उपखण्ड इटावा जिला कोटा (राज.) की कृषि भूमि खसरा संख्या 349 रकबा 4.27है. के खातेदार कृषक है इसी प्रकार प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 4 खसरा संख्या 341 रकबा 0.77है. भूमि, प्रतिपक्षी क्रम 6 ता 10 खसरा संख्या 351 रकबा 0.25है., खसरा संख्या 352 रकबा 0.73है. भूमि, प्रतिपक्षी क्रम 11 ता 16 खसरा संख्या 342 रकबा 0.84है. भूमि के खातेदार है। आवेदकगण एवम् प्रतिपक्षीगण के खाते के उक्त खसरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे पृथक् से दर्शित किए गए है। संलग्न नक्शा प्रार्थना पत्र का ही एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ ही पढ़ा व समझा जावें। आवेदकगण को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 349

रकबा 4.27 है. भूमि में आने जाने के लिए, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि लाने, ले जाने के लिए प्रतिपक्षीगण के खाते के खसरा संख्या 341 रकबा 0.77है., खसरा संख्या 351 रकबा 0.25है., खसरा संख्या 352 रकबा 0.73 है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.84 है. से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप मे करने एवम् राजस्व अभिलेख में 30 फीट चौडा रास्ता अंकित करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। आवेदकगण को अपने खाते के खसरा संख्या 349 रकबा 4.27है. भूमि हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदकगण द्वारा, प्रतिपक्षीगण से उक्त भूमि का मार्ग के रूप में उपयोग करने हेतु निवेदन किया जो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया कि वे, संलग्न नक्शा के अनुसार आवेदकगण को वर्णित भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे, जबकि आवेदकगण, प्रतिपक्षीगण को रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भुमि की क्षतिपूर्ति हेतु तत्पर है। आवेदकगण को अपने खाते के खेत खसरा संख्या 349 रकबा 4.27है. भूमि में आने उपकरण, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि लाने संख्या 341 रकबा 0.77है., खसरा संख्या 351 रकबा 0.25है., खसरा संख्या 352 रकबा 0.73है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.84है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का 30 फीट चौडे रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। आवेदकगण, प्रतिपक्षीगण के खाते की भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित रास्ता कायम किए जाने पर होने वाली भूमि की क्षति की क्षतिपूर्ति बाबत् विधि विहित D-IL-C- Rate से मुगतान करने को तत्पर है। प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु आवेदकगण द्वारा तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही होने से आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण माह, अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह मे प्रतिपक्षीगण द्वारा आवेदकगण को उक्त भूमि का मार्ग के रूप में उपयोग करने में साफ मना करने एवम् प्रार्थी के पास अपने खाते के खसरा संख्या 349 रकबा 4.27है. भूमि मे आने–जाने, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि लाने –ले जाने के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने पर इटावा जिला कोटा में उत्पन्न हुआ। आवेदकगण को अपने खाते के खसरा संख्या 349 रकबा 4.27 है. भूमि मे आने–जाने, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए खसरा संख्या 341 रकबा 0.77है., खसरा संख्या 351 रकबा 0.25है., खसरा संख्या 352 रकबा 0.73है.. खसरा संख्या 342 रकबा 0.84है. भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का रास्ता कायम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। क्योंकि यदि संलग्न नक्शा के अनुसार वर्णित भूमि का रास्ता कायम नही किया गया तो रास्ते के अभाव मे आवेदकगण को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका द्रव्य मे मुल्याँकन सम्भव नही होगा। तदर्थ प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवा मे प्रस्तुत है। अतः निवेदन किया कि आवेदकगण को खसरा, संख्या 349 रकबा 4.27 है. भूमि में आने जाने, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए खसरा संख्या 341 रकबा 0.77है., खसरा संख्या 351 रकबा 0.25है., खसरा संख्या 352 रकबा 0.73है., खसरा संख्या 342 रकबा 0.84 है., भूमि से होकर संलग्न नक्शा के अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाकर, जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लट्ठा में इन्द्राज किया जाकर, मार्ग उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर

अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 4, 7, 8, 9, 10, 13 व 16 की ओर से श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब सरकार के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पटवार मण्डल गैता के राजस्व ग्राम गेंता के अंतिम चौसाला आधार संवत 2075–78 खाता सं0 269 के आराजी ख0सं0 349 किस्म चाही दोयम, जाव दोयम रकबा 4.27है0, खातेदार देवीशंकर पुत्र भेरूलाल हि0 1/6, प्रेमचन्द पुत्र भेरूलाल हि0 1/6, प्रहलाद पुत्र भेरूलाल हि0 1/6, मौत्याबाई पत्नि स्व0 भेरूलाल हि0 1/6, लालचन्द पुत्र भेरूलाल हि0 1/6, सत्यनारायण पुत्र भेरूलाल हि0 1/6 जाति धाकड सा0 देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आराजी ख0नं0 349 वर्तमान में पडत है। आराजी ख0नं0 349 में आने जाने, कृषि उपकरण ले जाने हेतु आराजी ख0नं0 341 रकबा 0.77है0, ख0नं0 351 रकबा 0.25है0, ख0नं0 352 रकबा 0.73है0, ख0नं0 342 रकबा 0.84है0, में से रास्ता चाहता है। मुताबिक नजरी नक्शे अनुसार वादीगण आराजी ख0नं0 358 (खातेदार विष्णुशंकर पुत्र देवीशंकर जाति धाकड रकबा 1.29है0) से होकर आराजी ख0नं0 363 तक पहुंच सकता है जो कि वादीगणों का स्वयं का खेत है। आराजी ख0नं0 358 में 66 मी0 लम्बा तथा 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना संभव है। (रास्ते का रकबा 264 वर्ग मीटर या 0.02है0,) आराजी ख0नं0 358 तक पहुंचने के लिए आराजी ख0नं0 379 (किस्म गै0मु0 रास्ता, खाता सं0 1 राजस्थान सरकार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है) रास्ते के लिए वर्तमान में प्रयोग में लिया जा रहा है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वैकल्पिक रास्ते से सबसे कम काश्तकार प्रभावित हो रहे है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के ख0नं0 349 में नजदीकी रास्ता ख0नं0 379 गै0मु0 रास्ता से पहुंचने के लिए ख0नं0 358 और 363 का उपयोग किया जा सकता है। ख0नं0 363 प्रार्थीगणों के स्वयं के खातेदारी में है एवं ख0नं0 358 प्रार्थी कम 3 के पुत्र की खातेदारी में होने से आने जाने में किसी तरह की परेशानी प्रतीत नहीं होती है। चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता का नहीं होकर सुविधाजनक उपभोग के लिए प्रतीत हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा